

हेतु किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें
व न किसी प्रकार के वादीगण/का राजस्व रेकर्ड
में नाम हिस्से अनुसाद दर्ज करें।

आज दिनांक 1-7-2016 कोर्ट क्लेम्प वीचरिंग
पर करे आम हुनाफा गपा।

पत्रावाली पेशवा शुमार हो कर नामवर
सेवक हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

सहायक कलक्टर

फास्ट ट्रेक, भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्रीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह राजावत आर0ए0एस0

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| | उनवान | |
| 1- श्री केसर पुत्री | श. नाथूलाल जाट निवासी सालमपुरा | |
| 2- " " " " | " " " " | वादीगण |
| | बेनाम | |
| 1- | श्री नारायण पुत्र श. श्री नाथूलाल जाट निवासी सालमपुरा | |
| 2- " | प्रादीश पुत्र | " " |
| 3- " | मेरु पुत्र | " " |
| 4- " | लेहरा पुत्र | " " |
| 5- " | राहशीलदार श्रीलवाडा | |
| 6- " | उपपंजीयन, श्रीलवाडा | |
| 7- " | आई. सी. आई. आई. वी. व. लिमिटेड शारणापुर | प्रतिवादीगण |

दावा बाबत ११, १३, १४ श. व. ३

मुकदमा नम्बर :- २१/१६

निर्णय दिनांक :- १-७-१६

वादी की ओर से श. व. पं. की व प्रतिवादी की ओर से — की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख १-७-१६ को को. व. रि. पं. (नाम पीठासीन अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- ग्राम सालमपुरा के ३०-न १६, ३०७, ३०९, ३५१, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३६०, ३६२, ३७३, ५१२, ५१३, ५१४, ५५२, ५५३, ५३२/३५०, ५३३/३५४ बिता १९ श. व. का ५३ बीघा ०१ बिस्ता व ग्राम पुर ०१ श. व. का १००४ के ३०-न ०१ श. व. का २१ बीघा ०९ बिस्ता में वादीगण को हिस्सेनुसार श्रावतेदार का शतकार घोषित किया जाता है, रहन मुक्त नहीं होने तक बरस्तुर रहेगा। प्रतिवादी से ०५ से ०५ को श. व. का १ बिघा ५५ अंश का बिता १९ के बिता १९ के अंश हिस्से की भूमि पर काश्त करने हेतु किसी प्रकार की दरबल अंदाजा नहीं करे व न किसी से करावे। वादीगण का श. व. का १ बिघा ५५ अंश हिस्से अनुराना दर्ज करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख १-७-१६ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।